है।

उपरोक्त तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियोजन 1 व 2 की ओर से प्रकरण ऐसा हुआ। इसलिए ही अभियोजन द्वारा आरोपी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण 212 B Act. में ही आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई भ्रष्टाचार सम्बन्धित होने की संभावना नहीं है। अतः प्रकरण 212 B Act इति कर मेरे द्वारा रिलीज की जाती है। जमानती बन्धपत्र से मुक्त की जाकर मूल वाद के साथ अटैच हो।